वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 11

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5303.03	717.55	6020.58	5001.79	672.72	5674.51	5381.79	1108.21	6490.00	5136.55	1469.00	6605.55
वसूलियां	-2.94	...	-2.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	5300.09	717.55	6017.64	5001.79	672.72	5674.51	5381.79	1108.21	6490.00	5136.55	1469.00	6605.55

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

केंद्र का व्यय

केन्द्र का स्थापना व्यय

1.	सचिवालय	76.96	...	76.96	104.65	...	104.65	97.50	...	97.50	114.23	...	114.23
2.	*बौद्धिक संपदा*												
2.01	बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	90.88	17.56	108.44	112.52	65.23	177.75	103.52	22.50	126.02	...	...	...
2.02	बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण स्कीम (आईपीएबी)	5.80	...	5.80	7.65	7.39	15.04	5.42	...	5.42	11.80	...	11.80
2.03	पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक	77.85	...	77.85	87.67	...	87.67	98.16	...	98.16	232.58	...	232.58
2.04	राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान	1.79	...	1.79	2.69	...	2.69	2.86	...	2.86	...	...	...
2.05	अर्ध-चालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
2.06	अर्ध-चालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन बोर्ड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
2.07	बौद्धिक संपदा संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ	4.36	...	4.36	8.96	...	8.96	7.00	...	7.00	...	...	...
2.08	प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय	2.61	...	2.61	3.70	...	3.70	3.09	...	3.09	3.30	...	3.30
2.09	संपूर्ण शिक्षा और अकादमी के लिए आईपीआर में अध्यापन शास्त्र और अनुसंधान के लिए योजना	0.22	...	0.22	4.40	...	4.40	2.40	...	2.40	...	...	...
2.10	बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9.40	...	9.40
2.11	अवसंरचना विकास बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईडीआईपीएबी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7.39	7.39
2.12	पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	59.23	59.23
	जोड़- बौद्धिक संपदा	*183.51*	*17.56*	*201.07*	*227.61*	*72.62*	*300.23*	*222.45*	*22.50*	*244.95*	*257.08*	*66.62*	*323.70*
3.	*संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय*												
3.01	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	69.37	...	69.37	83.27	...	83.27	73.97	...	73.97	77.67	...	77.67
3.02	नमक आयुक्त	30.77	...	30.77	37.61	...	37.61	34.96	...	34.96	31.46	...	31.46
3.03	प्रशुल्क आयोग	6.33	...	6.33	8.53	...	8.53	7.08	...	7.08	7.53	...	7.53

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.04 बॉयलर सर्वेक्षण	0.30	...	0.30	0.27	...	0.27	0.38	...	0.38	0.40	...	0.40
जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय	*106.77*	*...*	*106.77*	*129.68*	*...*	*129.68*	*116.39*	*...*	*116.39*	*117.06*	*...*	*117.06*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**367.24**	**17.56**	**384.80**	**461.94**	**72.62**	**534.56**	**436.34**	**22.50**	**458.84**	**488.37**	**66.62**	**554.99**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	239.13	...	239.13	458.00	...	458.00	372.00	...	372.00	370.00	...	370.00
5. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)	75.52	...	75.52	100.00	...	100.00	18.00	...	18.00	25.00	...	25.00
6. मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े	8.60	...	8.60	7.33	...	7.33	15.88	...	15.88	12.00	...	12.00
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर												
7. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	1097.00	...	1097.00	850.00	...	850.00	950.00	...	950.00	1200.00	...	1200.00
8. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना (एकेआईसी)	3.00	...	3.00	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	...	...	...
9. प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका	...	699.99	699.99	0.01	500.10	500.11	0.01	654.41	654.42	0.01	347.41	347.42
जोड़-राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर	**1100.00**	**699.99**	**1799.99**	**852.71**	**500.10**	**1352.81**	**952.71**	**654.41**	**1607.12**	**1200.01**	**347.41**	**1547.42**
मेक इन इंडिया												
10. निवेश संवर्धन हेतु योजना	105.91	...	105.91	232.02	...	232.02	143.37	...	143.37	140.00	...	140.00
11. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम	0.22	...	0.22	8.47	...	8.47	8.47	...	8.47	...	...	...
12. व्यापार करने की सुगमता (ई-बिज परियोजना)	11.28	...	11.28	106.40	...	106.40	1.60	...	1.60	7.00	...	7.00
13. निधियों का कोष	...	...	...	...	100.00	100.00	...	431.30	431.30	...	1054.97	1054.97
14. क्रेडिट गारंटी निधि	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	10.00	...	10.00
15. स्टार्ट-अप इंडिया	19.01	...	19.01	25.00	...	25.00	57.84	...	57.84	50.00	...	50.00
16. व्यापार करने की सुगमता	1.50	...	1.50	1.40	...	1.40	9.00	...	9.00	20.00	...	20.00
जोड़-मेक इन इंडिया	**137.92**	**...**	**137.92**	**373.30**	**100.00**	**473.30**	**220.28**	**431.30**	**651.58**	**227.00**	**1054.97**	**1281.97**
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास												
17. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	527.99	...	527.99	483.53	...	483.53	543.53	...	543.53	200.00	...	200.00
18. परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम	932.25	...	932.25	293.31	...	293.31	342.88	...	342.88	300.00	...	300.00
19. विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	144.96	...	144.96	133.00	...	133.00	133.01	...	133.01	175.00	...	175.00
जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	**1605.20**	**...**	**1605.20**	**909.84**	**...**	**909.84**	**1019.42**	**...**	**1019.42**	**675.00**	**...**	**675.00**
20. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी	1499.86	...	1499.86	1700.00	...	1700.00	2100.49	...	2100.49	1716.00	...	1716.00
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास												
21. उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**4666.23**	**699.99**	**5366.22**	**4401.18**	**600.10**	**5001.28**	**4748.78**	**1085.71**	**5834.49**	**4325.01**	**1402.38**	**5727.39**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
22. स्वायत्त संगठन												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
22.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	198.37	...	198.37	72.90	...	72.90	116.80	...	116.80	250.00	...	250.00
22.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	0.63	...	0.63	0.60	...	0.60	0.66	...	0.66	0.70	...	0.70
22.03 एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	14.28	...	14.28	13.15	...	13.15	32.22	...	32.22	22.47	...	22.47
22.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	56.28	...	56.28	52.02	...	52.02	46.99	...	46.99	50.00	...	50.00
जोड़- स्वायत्त संगठन	*269.56*	*...*	*269.56*	*138.67*	*...*	*138.67*	*196.67*	*...*	*196.67*	*323.17*	*...*	*323.17*
अन्य												
23. वास्तविक वसूली	-2.94	...	-2.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**266.62**	**...**	**266.62**	**138.67**	**...**	**138.67**	**196.67**	**...**	**196.67**	**323.17**	**...**	**323.17**
कुल जोड़	***5300.09***	***717.55***	***6017.64***	***5001.79***	***672.72***	***5674.51***	***5381.79***	***1108.21***	***6490.00***	***5136.55***	***1469.00***	***6605.55***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	69.37	...	69.37	83.27	...	83.27	73.97	...	73.97	77.67	...	77.67
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	17.56	17.56	...	72.62	72.62	...	22.50	22.50	...	66.62	66.62
जोड़-सामान्य सेवाएं	**69.37**	**17.56**	**86.93**	**83.27**	**72.62**	**155.89**	**73.97**	**22.50**	**96.47**	**77.67**	**66.62**	**144.29**
आर्थिक सेवाएं												
3. उद्योग	760.49	...	760.49	1116.76	...	1116.76	838.81	...	838.81	969.58	...	969.58
4. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	4204.91	...	4204.91	2514.05	...	2514.05	2842.12	...	2842.12	2949.44	...	2949.44
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	76.95	...	76.95	104.65	...	104.65	97.50	...	97.50	114.23	...	114.23
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	188.37	...	188.37	226.06	...	226.06	231.77	...	231.77	269.28	...	269.28
7. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	699.99	699.99	...	600.10	600.10	...	1085.71	1085.71	...	1402.38	1402.38
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**5230.72**	**699.99**	**5930.71**	**3961.52**	**600.10**	**4561.62**	**4010.20**	**1085.71**	**5095.91**	**4302.53**	**1402.38**	**5704.91**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	957.00	...	957.00	1297.62	...	1297.62	756.35	...	756.35
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**957.00**	**...**	**957.00**	**1297.62**	**...**	**1297.62**	**756.35**	**...**	**756.35**
कुल जोड़	**5300.09**	**717.55**	**6017.64**	**5001.79**	**672.72**	**5674.51**	**5381.79**	**1108.21**	**6490.00**	**5136.55**	**1469.00**	**6605.55**

1. **सचिवालय:** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय हेतु प्रावधान करता है।

2.01. **बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान पेटेन्ट कार्यालय, (ट्रेड मार्क्स) रजिस्ट्री, डिजाइन कार्यालय और आईटी तथा भौतिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए है।

2.02. **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण स्कीम (आईपीएबी):** इसकी स्थापना पेटेन्ट नियंत्रक, व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार, भौगोलिक निदर्शन, प्रतिलिप्याधिकार और पौधा किस्म एवं किसानों के अधिकार के संबंध में निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए की गई है। ये आईपीएबी उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करता है। इस बजट प्रावधान में बोर्ड व्यय संबंधी के वेतन और अन्य संस्थापन की आवश्यकता के लिए है।

2.03. **पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक:** यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों नामत: पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक निदर्शन अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

2.04. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान की व्यवस्था करता है।

2.07. **बौद्धिक संपदा संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ:** बौद्धिक संपदा और प्रबंधन आईपीआर संवर्धन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) की स्थापना राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए की गई है। सीआईपीएएम आईपीआर से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित कार्रवाई सुनिश्चित करने और आईपीआर नीति के सात उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक पेशेवर निकाय है। सीआईपीएएम आईपी प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने में सहायता करने के अलावा, भारत में आईपीआर जागरूकता, वाणिज्यीकरण और प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है।

2.08. **प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय:** यह प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय के तहत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यह मुख्यत: प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और इस अधिनियम के तहत के कार्यों के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।

2.09. **संपूर्ण शिक्षा और अकादमी के लिए आईपीआर में अध्यापन शास्त्र और अनुसंधान के लिए योजना:** एसपीआरआईएचए पूर्ववर्ती का प्रतिलिप्याधिकार और आईपीआर संवर्धन योजना का संशोधित रूप है, जो 28.2.2018 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कार्यान्वयन में आयी है। यह योजना राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुरूप है तथा संस्थानों में आईपी शिक्षण पर विशेष जोर देती है साथ ही आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययनों/अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है।

2.10. **बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन:** बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन: बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन समग्र शिक्षा और अकादमी के लिए आईपीआर में अध्यापन शास्त्र और अनुसंधान स्कीम (एसपीआरआईएचए) (तत्कालीन सर्वाधिकार और आईपीआर का संवर्धन) का संशोधित रूपांतर है। यह स्कीम राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुसरण में है और संस्थानों में बौद्धिक नीति शिक्षण पर विशेष बल देती है और आईपीआर के अलग-अलग क्षेत्रों में अध्ययन/अनुसंधान का भी संवर्धन करती है।

2.11. **अवसंरचना विकास बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईडीआईपीएबी):** अवसंरचना विकास बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईडीआईपीएबी): बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) ट्रेड मार्कऔर भौगोलिक संसूचक पंजीयक, सर्वाधिकार पंजीयक तथा पेटेंट नियंत्रक के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक सांविधिक निकाय है। आईपीएबी वर्तमान में चेन्नई में प्रधान पीठ तथा दिल्ली रजिस्ट्री के लिए अधिग्रहित किराए के परिसर में अवस्थित है। चेन्नई स्थित आईपीएबी कार्यालय भवन के निर्माण हेतु आईडीआईपीएबी अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

2.12. **पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम):** पेटेंट्स, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (आईडीसीजी डीपीटीएम) में अवसंरचना विकास: यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों, नामत: पेटेंट्स अधिनियम 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000 और ट्रेडमार्क अधिनियम,1999, भौगोलिकि निदर्शन अधिनियम, 1999, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। आईडीसीजीपीडीटीएम पेटेंट्स डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय के तहत विभिन्न कार्यालयों के लिए अवसंरचना विकास हेतु सहायता प्रदान करेगा।

3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ):** यह संगठन की संस्थापना संबंधी लागत हेतु प्रावधान करता है जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके तहत बनाए गए अनेक नियमों का संचालन करता है। यह संगठन विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, प्रयोग, परिवहन, विस्फोटक/पेट्रोलियम/गैस सिलेंडर तथा प्रेशर वेसल के आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यह संगठन पाइपलाइनों सहित पेट्रोलियम और विस्फोटक पर्यावरण संबंधी अधिनियम के तहत खतरनाक रसायन नियमावली 1989 से संबंधित विनिर्माण, भंडारण और आयात का संचालन करता है। यह कार्यालय इन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्दों पर सभी प्राधिकरणों को सलाह करता है तथा संगठन द्वारा विनाश, जब्त और खराब विस्फोटकों (सैन्य विस्फोटकों के अलावा) का उत्तरदायित्व लेता है।

3.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन नमक के उत्पादन की आयोजना, लक्ष्यों तथा नमक के वितरण, मूल्य निगरानी अध्ययन एवं विभागीय नमक भूमि की देखभाल, नमक संबंधी मानकों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात हेतु उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। यह आयोडीन युक्त नमक सहित नमक के उत्पादन और तर्कसंगत वितरण को नियंत्रित करता है। यह नियमित रूप से नमक की कीमतों और उपलब्धता पर भी निगरानी रखता है। बजट में संगठन के संस्थापना प्रभार तथा विकास/कल्याण कार्य हेतु प्रावधान किया गया है।

3.03. **प्रशुल्क आयोग:** भारत सरकार ने सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और अन्य ग्राहक (क्लांइट) को सलाह देने के लिए प्रशुल्क आयोग की स्थापना की है और निष्पक्ष और न्यायोचित और प्रासंगिक तरीके से निर्णय लेने की सुविधा के लिए अध्ययन आधारित इनपुट प्रदान करते हैं और जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सिफारिशों के साथ निर्णय लेने की अपनी क्षमताओं को सक्षम और तीव्र बनाते हैं। यह बजट,आयोग के संस्थाेपना खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

3.04. **बॉयलर सर्वेक्षण:** बॉयलर सर्वेक्षण हेतु अनुसंधान अध्ययन और बॉयलर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान।

4. **भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी):** भारतीय फुटवियर चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) का मुख्य उद्देश्य, चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, चमड़ा क्षेत्र के लिए पर्यावरण संबंधी अपेक्षाओं पर ध्यान देना, अतिरिक्त निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि को सुविधाजनक बनाना है।

5. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस):** यह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता अवसंरचना प्रदान करके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए है। चयनित कार्यात्मक क्लस्टरों में अवसंरचना विकास, संबंधित राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

6. **मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े:** यह 'मूल्य और उत्पादन सांख्यिकी' योजना जारी दो पुरानी योजनाओं का विलय करके बनाई गई थी। 12 वीं योजना अवधि के दौरान, ओईए एक प्लान स्कीम अर्थात व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक का विकास का संचालन कर रहा था, इसी तरह डीपीआईआईटी भी औद्योगिक सांख्यिकी को मजबूत करने वाली एक योजना का संचालन कर रहा था। इस योजना के तहत आवंटित निधि केवल राजस्व व्यय (व्यावसायिक सेवाओं) के लिए है तथा मुख्य रूप से वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए और संविदा क्षेत्र के जांचकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के परिवहन भत्ते के लिए उपयोग किया जाता है जो एनएसएसओ द्वारा आंकड़ों के संग्रह में लगे हुए हैं तथा ओईए द्वारा नियुक्त सलाहकारों की पेशेवर सेवाओं का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

7. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी):** भारत सरकार ने 7 दिसंबर, 2016 को भारत में मौजूदा डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि (पीआईटीएफ) के दायरे के विस्तार को मंजूरी दी गई थी और इसे औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन: नामित किया गया, एनआईसीडीआईटी, डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और भविष्य में होने वाले विभिन्न औद्योगिक कोरिडोर भी एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8. **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना (एकेआईसी):** एकेआईसी पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) को एक मुख्य आधार के रूप में उपयोग करेगा और यह इस तरह से नियोजित किया जाएगा कि सात राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, विहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) होंगे।

9. **प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका:** भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केन्द्र को देश में वैश्विक प्रदर्शनियों और सम्मेलनों को आकर्षित करने वाली प्रतिष्ठित संरचना के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

10. **निवेश संवर्धन हेतु योजना:** विभाग ने मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की है, जो भारत को निवेश लक्ष्य और विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थालपित करने के लिए एक वैश्विक संवर्धनात्मक अभियान है। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रोत्साहित करना तथा कार्यबल, अवसंरचना, कच्चे माल तथा अन्य सुविधाओं की अपार क्षमता वाले देश के रूप में स्थापित करना है। मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित करने के लिए डीआईपीपी द्वारा अन्यों के साथ-साथ निवेशक सुविधा, निवेशक आऊटरीच, मीडिया संवर्धन तथा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को सहायता प्रदान करने जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

11. **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम:** इस योजना की आवश्यकता राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) के कार्यान्वयन के लिए है। राष्ट्रीय विनिवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजैड) की स्था पना इस नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित निधि, राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन्स की मास्टर प्लानिंग संबंधी लागत को पूरा करने के लिए है।

12. **व्यापार करने की सुगमता (ई-बिज परियोजना):** ई-बिज़ मिशन मोड प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी व्यवसाय और एक ही पोर्टल पर उपलब्ध केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों में निवेश से संबंधित विनियामक सेवाएं करके भारत में एक व्यदवसाय और निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिससे व्यवसाय के निवेशकों को कई कार्यालयों या वेबसाइटों के एक पृष्ठ पर जाने की आवश्यकता होती है। तथापि, 9 नवंबर, 2019 से ई-बिज प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है और बकाया भुगतान करने के लिए निधि रखी गई है।

13. **निधियों का कोष:** स्टार्टअप्स के लिए निधियन सहायता प्रदान करने हेतु, सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप्स (एफएफएस) के लिए निधियों का कोष बनाया है। एफएफएस विभिन्न स्टार्टअप्स के इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के कोष में योगदान देगा। एफएफएस को लघु उद्योग बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसके लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। एफएफसी कोष के लिए वित्त वर्ष 2015-16 में 500 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2016-17 में 100 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2018-19 तक 2200 करोड़ के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 हेतु सिडबी को 1600 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता प्रदान की गई है।

14. **क्रेडिट गारंटी निधि:** स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कोष (सीजीएसएस) के संबंध में एक कैबिनेट नोट मसौदा पीएमओ के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि सीजीएसएस को, सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा पात्र उधारकर्ता अर्थात डीपीआईआईटी द्वारा मान्यएता प्राप्त स्टायर्टअप, को दिए गए 500 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजटीय कोष होगा और स्टार्टअप को ऋण निधि उपलब्धि करने के लिए ईकोसिस्ट0म में बैंकों और अन्य ऋण संस्थानों को प्रोत्साहित करेगा। तथापि, सिडबी के सुझावों के मद्देनजर उन्होंने कहा कि कैबिनेट नोट वापस ले लिया गया है और विभाग सिडबी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट नोट को पुन: प्रारूपित करने की प्रक्रिया में है।

15. **स्टार्ट-अप इंडिया:** स्स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य, उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्ट्म सृजित कर नवाचार को बढ़ावा देना है। इस पहल द्वारा भारत के आर्थिक परिदृश्य में उद्यमशीलता अवसंरचना को काफी समय से आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य योजना के तहत 19 कार्रवाई मदें हैं जिनमें "सरलीकरण और सहायता", "निधियन सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षा जगत की साझेदारी और इन्क्यू बेशन" जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

16. **व्यापार करने की सुगमता:** परियोजना का उद्देश्य भारत में केंद्र और राज्य की स्थानीय सरकारों में सभी व्यवसाय और निवेश से संबंधित विनियामक सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाकर एक व्यापार और निवेशक अनुकूल पारिस्थिति का तंत्र तैयार करना है।

17. **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संर्वधन नीति (एनईआईपीपी):** इस योजना को 31.03.2017 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, इस स्कीम में छूट 31.03.2027 तक जारी रहेगी।

18. **परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम:** 22.11.2016 से परिवहन / मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस), 2013 को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, 22.11.2016 की डीआईपीपी की अधिसूचना जारी करने की तारीख से पहले इस योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां 21.11.2021 तक इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

19. **विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** यह पैकेज संघ शासित प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, संघ शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में इन संघ शासित प्रदेशों/राज्यों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य के लिए है।

20. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी:** पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा हिमालय राज्यों के औद्योगिक इकाइयों में केंद्र तथा एकीकृत जीएसटी की प्रतिदान के लिए प्रावधान

21. **उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017:** रोजगार तथा आय उपार्जन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, दिनांक 12.04.2018 को पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस) 2017 के नाम से एक योजना अधिसूचित किया गया है जिसे पांच वर्ष (31.03.2017 को एनईआईआईपीपी, 2017 के समापन पर) की अवधि के लिए दिनांक 01.04.2017 से लागू किया गया है।

22.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इस परियोजना के अंतर्गत स्वायत्त संस्थाओं अर्थात पांच राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान नामत: अहमदाबाद, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथ असम, केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट तथा निर्माण सामग्री परिषद, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबर उत्पादक अनुसंधान संघ तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान किया गया है।

22.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन:** डब्ल्यूआईपीओ की भारतीय सदस्यता के लिए अंशदान के लिए प्रावधान

22.03. **एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** आसियान उत्पादकता संगठनतथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) के भारतीय सदस्यता के लिए अंशदान हेतु प्रावधान।

22.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इस परियोजना के आधार पर स्वायत्त संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय सीमेंट तथा निर्माण सामग्री परिषद, सीमेंट उद्योग विकास परिषद, कागज लुगदी तथा संबद्ध उद्योग विकास परिषद तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान किया गया है।